न्यायालय सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी –श्रीमती पुष्पाकंवर सिसोदिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 20/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
लाखा पुत्र करमी जाति कलबी निवासी पंसेरी तहसील जसवंतपुरा		1. चांपा गोद तलसी 2. रणछोड़ा पुत्र जगा 3. ठकरा पुत्र जगा 4. फुईया पुत्र जगा जातियान कलबी निवासी पंसेरी 5. भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा 6. उप पंजीयक जसवंतपुरा 7. हल्का पटवारी, पटवारी हल्का पंसेरी

दावा बाबत खातेदारी हक की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः 30.10.2019

वादी द्वारा उक्त वाद बाबत खातेदारी हक की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सरहद मौजा पंसेरी तहसील जसवंतपुरा में वर्तमान खसरा नं. 59 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मू.बेरा, खसरा नं. 60 रकबा 0.03 है0 गै.मू.सड़ा, खसरा नं. 61 रकबा 3.13 है0 किस्म चाही द्वितीय जाव द्वितीय जुमले रकबा 3.17 है0 स्थित है, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में चांपा गोद तलसी 1/3, लाखा वल्द करमी 1/3, रणछोड़ा, ठकरा, फुईयां पि. जगा 1/3 कलबी सा. देह खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी के पुराने खसरा नं. 24 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा थे। वक्त प्रथम बन्दौबस्त उक्त विवादित आराजी की खातेदारी वादी के पिता करमी 1/2 व गोमा 1/2 पि0 बन्ना कौम कलबी के नाम दर्ज थी। उक्त आराजी का उपयोग–उपभोग भी उक्त खातेदारी आराजी में दर्ज हिस्से माफिक किया जाता था तथा वर्तमान में इसी माफिक कब्जाकाश्त है। वक्त प्रथम बंदौबस्त से ही उक्त विवादित आराजी पर वादी के पित करमी व गेमा वल्द बन्ना कौम कलबी का कब्जांकाश्त व स्वामीत्व निर्बाध रूप से था। वादी के पिता के बाद वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जाकाश्त उक्त वादी के पिता के 1/2 हिस्से की आराजी पर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। उक्त आराजी के खातेदार गोमा वल्द बन्ना के लाऔलाद फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के मु0 तलसी बेवा गोमा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। उक्त विवादित आराजी में वादी का हिस्सा वक्त प्रथम बंदौबस्त से लगातार संवत् 2036–2039 तक राजस्व रेकर्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज था तथा इसी माफिक कब्जाकाश्त था तथा वर्तमान में भी इसी माफिक कब्जाकाश्त बहैसियत मालिक चला आ रहा है। द्वितीय सेटलमेंट के समय सेटलमेंट अधिकारियों ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर तथा प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 से 4 के पिता मृतक जगा के साथ मिलावट कर गैर कानूनी रूप से उक्त विवादित आराजी के स्वामित्व के रूप में दर्ज कर उक्त विवादित आराजी की खातेदारी में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 से 4 के पिता के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज कर दिया। अतः डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार सादिर की जाये कि मौजा पंसेरी के नवीन खसरा नं. 59 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मू.बेरा, खसरा नं. 60 रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मू.सड़ा, खसरा नं. 61 रकबा 3.13 है0 किस्म चाही द्वितीय जाव द्वितीय जुमले रकबा 3.17 है0 की वर्तमान में दर्ज खातेदारी चांपा गोद तलसी 1/3 , लाखा वल्द करमी 1/3, रणछोडा,ठकरा,फुईया पि0 जगा 1/3 कलबी सा0 देह खातेदार की बजाय लाखा वल्द करमी 1/2 हिस्सा, चांदा गोद तलसी, रणछोड़ा, ठकरा, फुईया 1/2 हिस्सा कौम कलबी सा0 देह खातेदार दर्ज किया जावें व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादिर की जावे।

प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 व प्रतिवादीगण नं. 5 से 7 का जवाब बंद किया गया।

मामले में प्रस्तुत वाद एवं दस्तावेजात के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया मौजा पंसेरी के नवीन खसरा नं. 59 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मू.बेरा, खसरा नं. 60 रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मू.सड़ा, खसरा नं. 61 रकबा 3.13 है0 किस्म चाही द्वितीय जाव द्वितीय जुमले रकबा 3.17 है0 की वर्तमान में दर्ज खातेदारी चांपा गोद तलसी 1/3 , लाखा वल्द करमी 1/3, रणछोडा,ठकरा,फुईया पि0 जगा 1/3 कलबी सा0 देह खातेदार की बजाय लाखा

सहायक कलेक्टर जसवन्तपुरा जिला जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

वल्द करमी 1/2 हिस्सा, चांदा गोद तलसी, रणछोड़ा, ठकरा, फुईया 1/2 हिस्सा कौम कलबी का है।

:– जिम्मे वादीगण

2. आया मौजा पंसेरी तह0 जसवंतपुरा में स्थित खातेदारी नवीन खसरा नं. 59 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मू.बेरा, खसरा नं. 60 रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मू.सड़ा, खसरा नं. 61 रकबा 3.13 है0 किस्म चाही द्वितीय जाव द्वितीय जुमले रकबा 3.17 है0 में लाखा वल्द करमी 1/2 हिस्सा, चांपा गोद तलसी, रणछोड़ा,ठकरा, फुईया 1/2 हिस्सा कौम कलबी की रेकॅर्ड दुरस्ती की जानी है।

:– जिम्मे वादीगण

3. आया मौजा पंसेरी तह0 जसवंतपुरा में स्थित खातेदारी नवीन खसरा नं. 59 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मू.बेरा, खसरा नं. 60 रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मू.सड़ा, खसरा नं. 61 रकबा 3.13 है0 किस्म चाही द्वितीय जाव द्वितीय जुमले रकबा 3.17 है0 में वादी के 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में दखल किया जा रहा है।

:– जिम्मे प्रतिवादी

4. अनुतोष :–

वादी ने वाद के साथ मिलान क्षेत्रफल 1989 से 2008 प्रदर्श–1, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010 से 2029 प्रदर्श–2, मिसल बंदौबस्त द्वितीय प्रदर्श – 3, मिसल बंदौबस्त प्रथम प्रदर्श–4, जमाबंदी संवत् 2035–38 प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत् 2036–39 प्रदर्श–6, जमाबंदी संवत् 2049–52 प्रदर्श–7, जमाबंदी संवत् 2052 से 2056 प्रदर्श– 8, जमाबंदी संवत् 2057 से 60 प्रदर्श–9, जमाबंदी संवत् 2061 से 64 प्रदर्श–10 एवं मौखिक साक्ष्य मे वादी स्वयं लाखा का साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर बयान कलमबद्ध करवाये।

प्रकरण में विरचित तनकियो का निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

तनकी नम्बर 1 :– यह तनकी वादी के जिम्मे रखी गई। वादी ने इसके समर्थन में मिलान क्षेत्रफल संवत् 1989 से 2008 प्रदर्श–1 पेश की, इसके अनुसार उक्त विवादित आराजी के पुराने खसरा नं. 24 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा थे। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010 से 2029 प्रदर्श–2 अनुसार उक्त आराजी की खातेदारी गोमा व करमी पि0 बन्ना कौम कलबी सा0 देह खातेदार दर्ज थी। मिसल बंदौबस्त द्वितीय प्रदर्श – 3 अनुसार उक्त विवादित आराजी में वादी लाखा वल्द करमी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. चांपा गौद तलसी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी. सं. 2 से 4 के पिता जगा वल्द हीरा का 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ। मिसल बंदौबस्त प्रथम प्रदर्श–4 के खाता सं. 16 चांपा वगैराह मजकूर के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2035–38 प्रदर्श–5 अनुसार खसरा सं. 24 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा खातेदारी मु. तुलसी बेवा गोमा 1/2 व लाखा वल्द करमी 1/2 कौम कलबी सा. देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2036–39 प्रदर्श–6 में भी मु. तुलसी बेवा गोमा 1/2 व लाखा वल्द करमी 1/2 कौम कलबी सा. देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2049–52 प्रदर्श–7 अनुसार खसरा नं. 59,60,61 में चांपा गोद तुलसी 1/3, लाखा वल्द करमी 1/3, जगा वल्द हीरा 1/3 कौम कलबी सा0 देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2052 से 2056 प्रदर्श– 8 में भी खसरा नं. 59,60,61 में चांपा गोद तुलसी 1/3, लाखा वल्द करमी 1/3, जगा वल्द हीरा 1/3 कौम कलबी सा0 देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2057 से 60 प्रदर्श–9 में भी खसरा नं. 59,60,61 में चांपा गोद तुलसी 1/3, लाखा वल्द करमी 1/3, जगा वल्द हीरा 1/3 कौम कलबी सा0 देह खातेदार दर्ज हैं। जमाबंदी संवत् 2061 से 64 प्रदर्श–10 में भी खसरा नं. 59,60,61 में चांपा गोद तुलसी 1/3 लाखा वल्द करमी 1/3, जगा वल्द हीरा 1/3 कौम कलबी सा0 देह खातेदार दर्ज हैं।

सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा

Scanned by CamScanner

जमाबंदी संवत् 2010 से 2029 व 2035 से 2038 से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी गोमा , करमी पि0 बन्ना के दर्ज थी। जो बाद में जमाबंदी संवत् 2035–38 अनुसार तुलसी मु. गोमा 1/2 व लाखा वल्द करमी 1/2 दर्ज हुई। अतः स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी लाखा वल्द करमी व चांपा गोद तलसी की ही खातेदारी आराजी है। अतएव यह तनकी वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– यह तनकी वादी के जिम्मे रखी गई। चूंकि तनकी नम्बर 1 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी लाखा वल्द करमी व चांपा गोद तलसी की ही खातेदारी आराजी है। जिसकी तनकी नम्बर 1 अनुसार वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है । अतः तनकी नं. 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– यह तनकी प्रतिवादीगण के जिम्मे रखी गई। चूंकि तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है । अतः तनकी नं. 3 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकियो के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी में चांपा गोद तलसी 1/3, लाखा वल्द करमी 1/3, रणछोड़ा,ठकरा, फुईया पि. जगा 1/3 कलबी सा0 देह खातेदार की बजाय लाखा वल्द करमी 1/2 हिस्सा व चांपा गोद तलसी, रणछोडा,ठकरा,फईया 1/2 हिस्सा कौम कलबी सा. देह खातेदार दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

परिणामस्वरूप वादी का वाद बाबत खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अतः प्रकरण में वादी सं. 1 लाखा पुत्र करमी को खसरा नं. 59 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मू.बेरा, खसरा नं. 60 रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मू.सडा, खसरा नं. 61 रकबा 3.13 है0 किस्म चाही द्वितीय जाव द्वितीय में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है व चांपा गोद तलसी, रणछोडा, ठकरा, फुईया पि. जगा को शेष 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि पक्षकारान के बंट में आई आराजी के हिस्से व कब्जे कास्त में एक दुसरे में दखल अंदाजी नही करे एवं नही किसी से करावे। तहसीलदार जसवंतपुरा को माफिक निर्णय तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा जालोर (राज.) सत्यमेव जयते

(श्रीमती पुष्पाकंवर सिसोदिया, RAS)
सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा
सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा
जिला -जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Kanwar Sisodiya
Date: 2019.11.30 12:06:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: